रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob। 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रां.पट.संघ/113/2024 भोपाल, दिनांक 02.12.2024

प्रति,

1. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय,
   राजस्व विभाग
   मध्यप्रदेश शासन भोपाल
2. श्रीमान आयुक्त भू-अभिलेख महोदय,
   राजस्व विभाग
   मध्यप्रदेष शासन भोपाल

विशयः-मध्यप्रदेष मंे पदस्थ पटवारियों के वेतन मद 008-2029-00-103-1472 -11-008 में आई एफ एम एस पर बजट प्रदाय करने के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विशयांतर्गत लेख है कि 1.मध्यप्रदेष षासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेष क्रमंाक /1063/997/2022/सात-5/भोपाल दिनांक 01.10.2023 एवं 2.मध्यप्रदेष षासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमंाक/1244/997/2022/सात-5/भोपाल दिनांक 18.12.2023 से मध्यप्रदेष के पटवारियों को मिलने वाले वेतन में अतिरिक्त भत्ता 4000 रूपये वेतन मद 008-2029-00-103-1472-11-008 में आई एफ एम एस से प्रदाय किया जाना था, किन्तु पिछले 02 माह से प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त मद में बजट नहीं होने से प्रदेष के पटवारियों को या तो वेतन काटकर प्रदाय की किया जा रहा है या उक्त मद में बजट आने की प्रत्याषा में वेतन को होल्ड किया जा रहा है। जिससे समय पर वेतन न मिलने से प्रदेष के समस्त पटवारियों के दैनिक खर्चे (मकान की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस आदि) समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे है।

जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि माह अक्टूम्बर एवं नवंबर 2024 को प्राप्त होने वाले वेतन को भी या तो होल्ड किया गया या वेतन में से उक्त भत्ता काटकर प्रदाय किया जायेगा क्योंकि संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल मद में बजट न होने से पूरा वेतन प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। पूर्व में भी अप्रैल 2024 के बाद विगत कुछ माह तक वेतन के साथ भत्तो का भुगतान नहीं किया गया था।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उपरोक्त समस्या प्रदेष के समस्त पटवारियों को प्रत्येक माह मिलने वाले वेतन के साथ ही भत्तों का बजट ग्लोबल बजट से प्रथक कर वेतन मद के साथ स्वीकृत किया जाए।

सादर विनय।

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob। 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक / प्रां.पट.संघ / 113 / 2024 भोपाल, दिनांक 02.12.2024

प्रति,

1. **श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय,**
   राजस्व विभाग
   मध्यप्रदेश ाासन भोपाल
2. **श्रीमान आयुक्त भू–अभिलेख महोदय,**
   राजस्व विभाग
   मध्यप्रदेश ाासन भोपाल

वि ाय:– मध्यप्रदेश में पदस्थ पटवारियों के वेतन मद 008–2029–00–103–1472 –11–008 में आई एफ एम एस पर बजट प्रदाय करने के संबंध में।

–––000–––

उपरोक्त वि ायांतर्गत लेख है कि 1.मध्यप्रदेश ाासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक /1063 / 997 / 2022 / सात–5 / भोपाल दिनांक 01.10.2023 एवं 2.मध्यप्रदेश ाासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक / 1244 / 997 / 2022 / सात–5 / भोपाल दिनांक 18.12.2023 से मध्यप्रदेश के पटवारियों को मिलने वाले वेतन में अतिरिक्त भत्ता 4000 रूपये वेतन मद 008–2029–00–103–1472–11–008 में आई एफ एम एस से प्रदाय किया जाना था, किन्तु पिछले 02 माह से प्राय: यह देखा जा रहा है कि उक्त मद में बजट नहीं होने से प्रदेश के पटवारियों को या तो वेतन काटकर प्रदाय की किया जा रहा है या उक्त मद में बजट आने की प्रत्याशा में वेतन को होल्ड किया जा रहा है। जिससे समय पर वेतन न मिलने से प्रदेश के समस्त पटवारियों के दैनिक खर्चे (मकान की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस आदि) समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे है।

जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि माह अक्टूम्बर एवं नवंबर 2024 को प्राप्त होने वाले वेतन को भी या तो होल्ड किया गया या वेतन में से उक्त भत्ता काटकर प्रदाय किया जायेगा क्योंकि संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल मद में बजट न होने से पूरा वेतन प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। पूर्व में भी अप्रैल 2024 के बाद विगत कुछ माह तक वेतन के साथ भत्तो का भुगतान नहीं किया गया था।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उपरोक्त समस्या प्रदेश के समस्त पटवारियों को प्रत्येक माह मिलने वाले वेतन के साथ ही भत्तों का बजट ग्लोबल बजट से प्रथक कर वेतन मद के साथ स्वीकृत किया जाए।

सादर विनय।

अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob। 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रां.पट.संघ/114/2024 भोपाल, दिनांक 02.12.2024

प्रति,

1. माननीय प्रमुख सचिव महोदय,
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. माननीय आयुक्त भू-अभिलेख
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- प्रदेश में पटवारी विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व महाभियान 3.0 के पश्चात् किये जाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1277/10परीक्षा/121891/2024 ग्वालियर दिनांक 29-11-2024

****

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र अनुसार पटवारी विभागीय परीक्षा दिनांक 15.12.20224 को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आयोजित की गई है। श्रीमानजी वर्तमान में राजस्व महाअभियान 3.0 दिनांक 15/11/2024 से 15/12/2024 तक सम्पूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं माननीय राजस्व मंत्रीजी के निर्देशानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान में प्रदेश के सभी पटवारियों के द्वारा सफल बनाने हेतु निरंतन कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण पटवारियों को विभागीय परीक्षा की तैयारी करने हेतु समय अभाव रहेगा।

अतः माननीय से निवेदन है कि विभागीय परीक्षा अभियान के पश्चात् आयोजित किये जाने की कृपा करे ।

सादर विनय ।

अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob| 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रां.पट.संघ/112/2024 भोपाल, दिनांक 02.12.2024

प्रति,

1. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय,**
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. **माननीय राजस्व मंत्री महोदय,**
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. **माननीय मुख्य सचिव महोदय,**
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. **माननीय प्रमुख सचिव महोदय,**
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5. **माननीय आयुक्त भू-अभिलेख**
   मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- राजस्व महाभियान 3.0 में प्रदेश के पटवारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं/मांगों का निराकरण किए जाने के संबंध में।

****

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश का पटवारी संवर्ग शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं समय-समय पर चलाऐ जा रहे अभियानों को शासन की मंशानुरुप निरंतर सफल बनाते आ रहे है। विगत राजस्व महाभियान 1.0 व 2.0 का कार्य प्रदेश के पटवारियों द्वारा संसाधनों के अभाव में रात-दिन जुटे रहकर सफल बनाते हुए प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लाखों राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की किसान-हितैषी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्व में भी "राजस्व-अभियान" चलाकर किसानों को त्वरित रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रिकॉर्ड शुद्धिकरण जैसी सेवाएं निश्चित समयावधि में घर बैठे उपलब्ध कराई गई थी और इस कार्य को शासन-प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले पटवारियों ने पूर्ण निष्ठा से सफलतापूर्वक संपन्न कर शासन का मान बढ़ाया। किंतु शासन-प्रशासन का यह जिम्मेदार बेटा ही अपने अन्य समकक्षीय संवर्ग के कर्मचारियों की तुलना में हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। अल्प-वेतन एवं सीमित संसाधनों के बावजूद शासन की किसान-हितैषी योजनाओं जैसे- पी.एम. किसान सम्मान-निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री भू-आवासीय योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने वाला इकलौता या कहें कि सौतेला कर्मचारी सिर्फ पटवारी ही रहा है। यही नहीं विगत 2 महीनो से प्रदेश के पटवारियों को एग्रीस्टेक भत्ते की राशि समेत स्टेशनरी भत्ता एवं यात्रा भत्ता जैसे स्थायी भत्तों के भुगतान के भी लाले पड़े हुए हैं। बजट की अनुपलब्धता का कारण बताते हुए भत्तों के भुगतान पर अनावश्यक रूप से रोक लगा रखी है। स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण कर देने के बावजूद पटवारी इस कार्य हेतु निर्धारित 7500 प्रति ग्राम की मानदेय राशि के भुगतान के लिए पंचायत सचिव के हाथ पैर

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob| 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

जोड़ने को विवश है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हम पटवारी आपके आदेश का मान रखते हुए अन्नदाता किसानों के हित में आपकी फ्लैगशिप योजना "राजस्व महा-अभियान 3.0" को भी पूर्ण निष्ठा के साथ सफल बनाने को तत्पर हैं किंतु इस अभियान के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और अव्वल आने की अंधी दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाहियों एवं मानसिक प्रताड़नाओं से पटवारी की रक्षा की जाए यही निवेदन है।

प्रदेश के पटवारियों की प्रमुख मांगे/समस्याऐं निम्नानुसार है-

1. **लंबित नक्शा तरमीम/बटांकन कार्य** -:यह कि प्रदेश के पटवारियों से शासन-प्रशासन के द्वारा डंडे के बल पर राजस्व महाभियान के रूप में नक्शा तरमीम/बटांकन कार्य करवाया जा रहा है, जबकि ये न्यायालयीन प्रकृति का कार्य होकर जिसमें हितबद्ध पक्षकारों/सहखातेदारों को संबंधित तहसील न्यायालय के द्वारा सुना जाना आवश्यक होता है। राजस्व महाभियान 1.0 व 2.0 में नक्शा तरमीम का कार्य वृहद स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है शेष बचे बटांकन/नक्शा तरमीम विवादित प्रकृति की होने से उन्हे सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा सुना जाना आवश्यक है। नक्शा तरमीम के कार्य में पटवारी द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम को राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर जांच की जाती है जो कि अभियान में कराया जाना संभव नहीं है।

   साथ ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में मिसल बंदोबस्त शीट एवं वर्तमान डिजिटल नक्शा शीट में भिन्नता आ रही है अधिकतर नक्शा पार्सल का रकबा खसरे में लिखित रकबे से मिलान नहीं करता है इसलिए बिना नवीन बंदोबस्त/भू-सर्वेक्षण के बिना नक्शा तरमीम का कार्य शुद्धतापूर्वक किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में वेब जी.आई.एस .साफ्टवेयर में उपलब्ध माड्यूल पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योकि इसमें किसी भी ज्यामिति का वास्तविक रकबा प्रदर्शित नहीं होता है अपितु खसरे में दर्ज रकबा ही उस ज्यामिति के अनुरूप प्रदर्शित होता है। वर्तमान माड्यूल में तीसरा बिन्दु क्रियेट करने की सुविधा नहीं है इसलिए पटवारी चालू नक्शा शीट में काटे गए सही नक्शे आन-लाईन नक्शे में त्रुटिपूर्ण ढंग से इन्द्राज हो रहे है जिससे चालू नक्शा शीट पर काटा गया नक्शा एवं आन-लाईन काटे गए नक्शे में भिन्नता होती है। उपलब्ध माड्यूल पर मजबूरीवश पटवारी अन्दाज से किसी एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु की ओर नक्शा काट रहा है। उपलब्ध माड्यूल पूर्णतः ratio and proportion के सिद्धांत पर नक्शे में नम्बर आकृति बनाता है इस प्रकार बनी आकृति मौके पर बनी आकृति से भिन्न होती है।

   अतः शासन से निवेदन है कि नक्शा तरमीम के कार्य को राजस्व महाभियान के रूप में न करवाया जाऐ और इस कार्य को अभियान से पूर्णतः मुक्त रखा जाऐ।

2. **शासन द्वारा सेवाओं के निराकरण हेतु निश्चित समय-सीमा** -:यह कि शासन द्वारा विभिन्न राजस्व सेवाओं हेतु समय-सीमा निराकरण हेतु पूर्व से निर्धारित है। लोक सेवा केन्द्र/सी.एस.सी .सेन्टर/आर.सी.एम.एस .पोर्टल पर आवेदन देकर शासन द्वारा तय नाम मात्र शुल्क पर शासन की विभिन्न सेवाओं का लाभ आवेदक प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए शासन ने संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की हुई है इसके बावजुद भी शासन की इन अधिसूचित सेवाओं को राजस्व महाभियान

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob| 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

के तहत शामिल किया जाकर आनन-फानन में कार्य करवाया जा रहा है, जिससे जल्दबाजी में बडी संख्या में त्रुटियां उत्पन्न होने की आशंका है जिससे विवाद निराकृत होने की बजाऐ और अधिक अनावश्यक प्रकरण उत्पन्न होंगे जिससे प्रदेश का अन्नदाता किसान और अधिक परेशान होंगा।

3. **ई.के.वाय.सी .एवं फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में** -:यह कि ई.के.वाय.सी/.फार्मर रजिस्ट्री में शासन द्वारा बनाऐ गए एप्प/पोर्टल को इतना अधिक जटिल बनाया गया है की किसी भी किसान के नाम में अल्प त्रुटि होने पर भी ई.के.वाय.सी .एवं फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है जिससे किसान अनावश्यक उक्त स्थानों पर भटककर परेशान होता है। उक्त कार्य की प्रक्रिया को आसान बनाया जाऐ एवं उक्त कार्य को सम्पन्न करवाने हेतु प्रदेश के पटवारियों पर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव न बनाया जाऐ। साथ ही अलग-अलग प्रकार के पोर्टल को समाप्त कर एक ही पोर्टल पर सभी योजनाओं की ई.के.वाय.सी .करवाई जाने की व्यवस्था हो ताकि किसानों को बार-बार ई.के.वाय.सी .नहीं करवाना पडे और किसान तथा कर्मचारी का अनावश्यक समय बर्बाद न हो।

4. **ई-डायरी के संबंध में** :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.07.2024 को पारित आदेश अनुसार किसी आरोपी की गूगल लोकेशन साजा करना संविधान के आर्टिकल 21 अनुसार उसकी निजता का उल्लंघन है। आदेश की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। जब एक आरोपी को संविधान के आर्टिकल 21 अनुसार निजता के अधिकार है तो फिर पटवारियों को क्यो नहीं ? ई-डायरी में पटवारियों को उनकी) गूगल लोकेशन (साजा करने हेतु निर्देषित किया गया है जो कि पूर्णतह अप्रासंगिक होकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्रदाय निजता के अधिकार का हनन है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 21 में उनकी निजता के अधिकार दिए गए है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 जो कि पूरे मध्यप्रदेश के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर समान रूप से लागु होकर उसमें किसी भी शासकीय सेवक को उसकी जियो)गूगल (लोकेशन सांझा करने संबंधी नियम नहीं है। ई -डायरी में लोकेशन सांझा करने से विशेषकर महिला पटवारियों को भी सुरक्षा का खतरा बना रहेगा।मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली भाग 1 के अध्याय 3 की कंडिका 2(8) के प्रावधान अनुसार पटवारी को डिजिटल फॉर्मेट में दैनिक डायरी संधारित करने का नवाचार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल जिले से आरंभ किया गया है। जो कि पटवारी के बहुआयामी कर्तव्यों एवं विविध कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश को तुरन्त निरस्त किया जाऐ क्योंकि उक्त कार्य पूर्णतः अव्यावहारिक एवं औचित्यहीन है। जब अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी ऑफिस में कार्यरत है या फील्ड में कार्यरत है उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है तो 52 विभागों का कार्य करने वाले फील्ड के कर्मचारी पटवारी के लिऐ ही यह स्पेशल व्यवस्था क्यों ? अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है की भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 (निजता के अधिकार) एवं पटवारियों की कार्य प्रक्रति डिजिटल होने से वर्तमान में ई-डायरी संधारण औचित्यहीन होकर प्रासंगिक नहीं होने के कारण ई-डायरी व्यवस्था को समाप्त करने की कृपा करे।

रजि. क्रं. 01/01/01/40668/24

प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल

अध्यक्ष
अश्विन कुमार सैनी
Mob। 90092 17172

सचिव
धर्मेन्द्र चौबे
Mob: 98262 86004

कोषाध्यक्ष
शरदचन्द्र भण्डारी
Mob: 94259 82445

फ्लैट नंबर २०८, धेनु अपार्टमेंट, चिनार फॉर्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड़,बागमुगालिया भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश

5. **गृह तहसील के संबंध में** -:प्रदेश भर में किसी भी हल्का मुख्यालय पर पटवारियों के निवास के लिए समुचित आवास की व्यवस्था नहीं है अतः कार्यालयीन समय के अतिरिक्त मुख्यालय पर आवास की अनिवार्यता को तब तक स्थगित किया जाए जब तक शासन द्वारा प्रत्येक हल्का मुख्यालय पर सर्व सुविधायुक्त आवास सहकार्यालय उपलब्ध नहीं करा दिए जाते हैं। शासन द्वारा पटवारियों को गृह भाडा भत्ता के रूप में जो राशि दी जाती है उससे किसी छोटे से छोटे गांव में भी किराए पर आवास मिल पाना असंभव है।
6. **संविलियन निति बना कर गृह जिले में स्थान्तरण करने के संबंध में :-** संविलियन निति बना कर अन्य जिलो में पदस्थ पटवारियों को गृह जिले में पदस्थ किया जाए ।
7. **पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के संबंध में** -:यह कि शासन द्वारा पटवारियों को मोबाईल एवं लैपटाप क्रय करने हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाऐ। कृषकों के कार्य सुविधापूर्वक करने हेतु पटवारियों को उच्च तकनीकी सुविधा युक्त आधुनिक मोबाईल फोन एवं लेपटॉप मय डाटा के उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लेपटॉप की राशि 50000रूपये से बढाकर 1 लाख रू तक की जाए एवं मोबाईल फोन की राशि 7300रू से बढाकर 25000रू तक की जाए। वर्ष 2018 में सेवा में आए पटवारियों को 7वर्ष व्यतित हो जाने के उपरांत भी मोबाइल क्रय करने की राशि अप्राप्त है। यह राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। शासन के विभिन्न सोफ्टवेयरों एवं एप्प में आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाऐ, ताकि पटवारी द्वारा सुविधापूर्वक अभियान का कार्य पूर्ण किया जा सके।

   पूर्व में संचालित राजस्व महाभियानों में केवल और केवल पटवारियों द्वारा कार्य किया जाता रहा है जबकि शेष समस्त अधिकारी दिन में तीन से चार बार एक ही कार्य की समीक्षा कर पटवारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है एवं दण्डात्मक कार्यवाही करते है।

   शासन की समस्त लोक हितैशी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के पश्चात् भी पटवारियों की वर्षों पूरानी वाजिब मांगों का निराकरण न करते हुए शासन द्वारा पटवारी संवर्ग को मानसिक रूप से प्रताडित करने के उद्देश्य से गृह तहसील एवं ई-डायरी जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था लागू की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि पटवारीयों की वाजिब मांगों का निराकरण किया जाऐं एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाऐ।

सादर विनय ।

अध्यक्ष प्रांतीय पटवारी संघ, भोपाल